3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (नं. 23 आफ 1973).

Raipur, the 12th July 2001

No. 51/430/DS/H&E/2001 .—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adoptation of Laws order, 2001.
   (ii) It shall come in to force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediatly before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modificaion that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the law's (2)
1.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2001

क्रमांक 103/472/उप-स./आ.पर्या./2001 .—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोक हित में यह आवश्यक हो गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया जावे.

2. अतएव राज्य सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्र. 6) की धारा 4 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल" का गठन इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से किया जाता है.

3. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उन समस्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का जिनका इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है का प्रयोग, पालन या निर्वहन उक्त मण्डल द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 24th July 2001

No. 103/472/DS/H&E/2001 .—Whereas, the State Government is of the opinion that the circumstances exist which render it necessary in the public interest to create pollution Control Board in the Chhattisgarh State.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), and Section 4 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the State Government hereby constitutes, "Chhattisgarh Environment Conservation Board", from the date of publication of the notification in Chhattisgarh State Gazette.

3. Upon the publication of this notification all the powers, functions, and duties which may, by or under this Act, be exercised, performed or discharged by the said Board.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2001

क्रमांक 112/स/आ.पर्या./2001 .—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निम्नानुसार सदस्य मनोनित किये जाते हैं :—

(1)	सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग.	अध्यक्ष
(2)	उप-सचिव/ संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग.	सदस्य
(3)	आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर.	सदस्य
(4)	श्री सम्पत राज जैन, रायपुर.	सदस्य
(5)	श्री जीवन नाथ ठाकुर अधिवक्ता, पुरानी बस्ती, रायपुर.	सदस्य
(6)	प्रबंध संचालक, वन विकास निगम, रायपुर.	सदस्य
(7)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर.	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

वन, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2001

क्रमांक एफ /7-17/व. स./2001 .—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)के तहत, क्रमांक एफ 6-16/84/सं/30

भोपाल दिनांक 4 जुलाई 1984 के द्वारा धमधा किला तहसील एवं जिला दुर्ग को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने हेतु जारी अधिसूचना को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से धमधा किला तहसील एवं जिला दुर्ग राज्य संरक्षित स्मारक नहीं रहेगा.

3. इस स्मारक के संरक्षण, रख-रखाव एवं जीर्णोद्धार का संपूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़ तहसील एवं जिला दुर्ग को रहेगा. गोंडवाना महासभा को धमधा किला सौंपे जाने की औपचारिक कार्यवाही कलेक्टर दुर्ग द्वारा निर्धारित संलग्न शर्तों पर की जावेगी.

जिलाध्यक्ष दुर्ग द्वारा स्मारक को सौंपने के समय शर्तें

धमधा किले को असंरक्षित कर केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़, दुर्ग को कलेक्टर दुर्ग के द्वारा सौंपने हेतु शर्तों का प्रारूप निम्नानुसार है :—

(1) धमधा किले के प्रवेश द्वार पर पूर्व से जड़े हुए पुरावशेष यथावत प्रदर्शित रहेंगे. इन्हें किसी भी स्थल पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा न ही कृत्रिम प्रकार से सौंदर्य वृद्धि की जावेगी.

(2) धमधा किले के प्रवेश द्वार पर जड़ी प्रतिमाओं को रंग अथवा वार्निश से विरूपित नहीं किया जावेगा. प्रतिमाओं की सुरक्षा तथा देखरेख की संपूर्ण जिम्मेदारी केन्द्रीय गोंडवाना महासभा धमधागढ़ की होगी. स्थल का अधिपत्य संबंधित को कलेक्टर दुर्ग सौंपेंगे.

(3) धमधा के किले में परम्परा से चली आ रही सार्वजनिक पूजा, आराधना तथा पर्व विशेष के समारोह यथावत मान्य एवं पालनीय होंगे..

(4) धमधा किले के परिसर में किसी भी प्रकार के नव निर्माण/परिवर्तन के लिये सक्षम अधिकारी कलेक्टर दुर्ग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(5) धमधा किले की पूरा संपदा का भौतिक सत्यापन संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष छायाचित्रों के सहित कलेक्टर दुर्ग एवं संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय रायपुर को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.

(6) उक्त शर्तों की परिवेश एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित करने का अधिकार कलेक्टर दुर्ग में निहित होगा. जिलाध्यक्ष दुर्ग आवश्यकतानुसार अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रकाश, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

क्रमांक 7-6/2001/व.प.सं.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.